

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/192/2017

प्रवेश तिथि

05-12-2017

निर्णय दिनांक

06-02-2020

01- नूरु पुत्र जगरूप जाति मेव निवासी ग्राम रघुनाथगढ़ कॉलोनी, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

02- सुब्बा पुत्र जगरूप जाति मेव निवासी ग्राम रघुनाथगढ़ कॉलोनी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

-अपीलान्ट्स

बनाम

01-तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज।

-रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़

दिनांक 09.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0

राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 377/2017

उपस्थित:-

01-श्री शोकत खांन

-वकील अपीलान्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 09.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रघुनाथगढ़ की सरकारी गै0मु0 बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 200/1.00 है0 में से 0.30 है0, 231/0.23 है0 में से 0.12 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथगढ़ की सरकारी गै0मु0 बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 200/1.00 है0 में से 0.30 है0, 231/0.23 है0 में से 0.12 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.09.2017 को पटवारी द्वारा अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरुद्ध दिनांक 01.12.2017 को पेश किया। जो करीब 01 माह 21 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलान्ट का अतिक्रमण होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 09.10.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)